(ख) निम्नलिखित को छोड़ कर सरकार के विद्यमान आदेशों के अनुसार वर्ग 'ख', 'ग', तथा 'घ' के सभी आरक्षित पदों पर अनुसूचित जाति/जन जाति के उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई है, वर्ग 'ख' के पदों में अब तक भरे गए 51 रोस्टर प्वाइंटों में से 6 रोस्टर प्वाइंट, वर्ग 'ग' के पदों में अब तक भरे गए 223 रोस्टर प्वाइंटों में से 16 रोस्टर प्वाइंट, तथा वर्ग 'घ' के पदों में भरे गए 86 रोस्टर प्वाइंटों में से 5 रोस्टर प्वाइंट। चूंकि पिछली भरतियों में अनुसूचित जाति/जन-जाति के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे अतः इन पदों को आगे ले जाया गया। भविष्य में की जाने वाली भर्ती के समय आरक्षित पदों के लिए आगे ले जाए गए रोस्टर प्वाइंटों में अनसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों की भरती की जाएगी।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या

5051. **श्री राम बिलास पासवान :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में विभिन्न श्रेणी के पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ; और

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित कर्मचारियों जो नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में विभिन्न वर्गों के पदों पर कार्य कर रहे हैं, की संख्या निम्नलिखित है :—

(1) **अनुसूचित जातियां**

वर्ग—क

अवर सचिव	2
निदेशक (डिजाइन)	1
सहायक नौवहन अधिकारी	1
अधीक्षक इंजीनियर	3
कार्यपालक इंजीनियर	2
सहायक कार्यपालक इंजीनियर	4

वर्ग—ख

तकनीकी अधिकारी	1
सहायक इंजीनियर	1
अनुभाग अधिकारी	3
सहायक	13
वरिष्ठ अन्वेषक	3
वरिष्ठ नक्शानवीस	2
आशुलिपिक	1

वर्ग—ग

उच्च श्रेणी लिपिक	6
निम्न श्रेणी लिपिक	22
प्रधान लिपिक	1
आशुलिपिक	4
कनिष्ठ अन्वेषक	1
संगणक	2
अनुरेखक	1
सवार हरकारा	1
चालक	9
नक्शानवीस ग्रेड क (एसजी)	2
नक्शानवीस ग्रेड क	4
परियोजना संगणक	2
नक्शानवीस ग्रेड ख	10
नक्शानवीस ग्रेड ग	6

वर्ग—घ

जमादार . .	3
दफ्तरी . .	1
चपरासी . .	25
झाड़कश . .	19
फराश-सह-झाड़ूकश	1
फराश . .	1
कुल . .	158

(2) **अनुसूचित जनजातियां**

वर्ग 'क'

कार्यपालक इंजीनियर	1

वर्ग 'ख'

कुछ नहीं।

वर्ग 'ग'

निम्न श्रेणी लिपिक	1
चालक .	3
नक्शानवीस ग्रेड 'क'	1
नक्शानवीस ग्रेड 'ख'	1
नक्शा नवीस ग्रेड 'ग' .	2

वर्ग 'घ'

दफ्तरी .	1
चपरासी .	1
कुल .	11
सकल योग .	169

2. इस समय उपलब्ध सात अनुसूचित जातियों के लिए तथा 8 अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए अर्थात् कुल 15 आरक्षित रिक्तियों को भर्ती नियमों के अनुसार भरने के लिए किए जा रहे उपाय प्रस्तावित उपाय निम्नलिखित हैं :—

वर्ग 'क' : अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित एक सहायक कार्य-पालक इंजीनियर (सिविल)

यह आरक्षित रिक्त पद सम्मिलित इंजीनियरी सेवाएं परीक्षा, 1977 द्वारा भरे जाने के लिए संघ लोक सेवा आयोग को अधिसूचित कर दिया गया है।

अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित एक सहायक नौवहन अधिकारी :

यह आरक्षित रिक्त स्थान सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के लिए संघ लोक सेवा आयोग को अधिसूचित कर दिया गया है।

वर्ग 'ख' : अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित एक वरिष्ठ अन्वेषक :

यह आरक्षित रिक्त पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के लिए संघ लोक सेवा आयोग को अधिसूचित कर दिया गया है।

अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिये आरक्षित एकव रिष्ठ अन्वेषक तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिये आरक्षित एक वरिष्ठ अन्वेषक :

इन दो आरक्षित रिक्त पदों को पदोन्नति द्वारा भरने का प्रस्ताव है, जिनके लिए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति पात्र उमीदवार उपलब्ध है और मन्त्रालय उन पर विचार कर रहा है।

वर्ग 'ग' : अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 2 निम्न श्रेणी क्लर्क तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 2 निम्न श्रेणी क्लर्क ।

ये 4 रिक्त स्थान अधीनस्थ सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को अधिसूचित कर दिए गए है ।

अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 2 आशुलिपिक, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित 1 आशुलिपिक तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 3 परियोजना संगण ।

ये सभी आरक्षित 6 रिक्त स्थान रोजगार कार्यालय को अधिसूचित कर दिये गये है, परन्तु वे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के समुदायों से सम्बन्धित उम्मीदवारों को नामित करने में समर्थ नहीं हुए है । अब, निर्धारित कार्यविधि के अनुसार दृश्य-श्रव्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से समाचार पत्रों में खुला विज्ञापन जारी करके तथा अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के संगठनों को पत्र लिखकर आरक्षित समदायों द्वारा इन पदों को भरने के लिए कदम उठाए जा रहे है ।

Utilisation of Allocation for sub-Plan for Tribals in 1976-77

5052. SHRI GIRIDHAR GOMANGO: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the States have utilised all the money earmarked by their State Plan and assistance provided by the Ministry under Sub-Plan for Tribals in the year 1976-77;

(b) if so, the State-wise money released by the Ministry and the allocation made by the States; and

(c) the steps taken by the Ministry to utilise the money and progress made so far?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS: (SHRI CHARAN SINGH): (a) and (b). This information will be laid on table of the house as soon as expenditure figures for the year 1976-77 are received from all states having tribal sub-plans. They have been asked to expedite.

(c) The need for ensuring full utilization of funds has been impressed on the State Governments from time to time.

Incidents of Communal Trouble

5053. SHRI F. H. MOHSIN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of incidents of communal trouble since 25th April, 1977;

(b) the loss to life and property involved in those incidents; and

(c) the reasons for the trouble and the steps taken to prevent recurrence of such incidents?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) to (c). Facts are being ascertained from the States Governments and Union Territory Administrations and will be laid on the Table of the House in due course.

Constitution of new Central Accreditation Committee

5054. DR. BAPU KAIDATY: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether the Government have constituted a new Central Accreditation Committee;